IV-1411

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUD

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567727

<u>ट्रस्ट – डीड</u>

मैं वीरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल निवासी मौहल्ला श्यौदत्त, गुलावठी (बुलन्दशहर) एक ट्रस्ट स्थापित करने का इच्छुक हूँ। जिसका नाम <u>सुरेशचन्द अग्रवाल मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट एन0एच0 24, बाबूगढ़ (हापुड़)</u> होगा। इसके पश्चात ट्रस्ट शब्द ही प्रयोग में लाया जाएगा। जिसके उद्देश्य निम्नवत हैः–

क्रम सं० 81 धनराशि 50/- दिनांक 30/11/12
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
क्रेता का नाम डीड
निवासी

(राकेश कुमार गुप्ता)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़
लाoनंo 33
लाईसेंस अवधि 31-03-2013

यास पत्र

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
5,100.00	100.00	20	120.00	1,000

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी मौ0 श्यौदत्त गुलावठी तह0 व जिला ब0शहर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/12/2012 समय 3:48PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुबोध कुमार राय
उप निबन्धक हापुड़ 2
हापुड़
1/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी मौ0 श्यौदत्त गुलावठी तह0 व जिला ब0शहर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री वेभव सिंहल
पुत्र श्री सुशील सिंहल
पेशा व्यापार
निवासी नि0 50 ज्ञानलोक हापुड तह0 हापुड जिला हापुड
व श्री वसीम
पुत्र श्री रहीम
पेशा व्यापार
निवासी नि0 रामनगर गुलावठी तह0 व जिला ब0शहर
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुबोध कुमार राय
उप निबन्धक हापुड़ 2
हापुड़
1/12/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567728

(क) निर्धन छात्र/छात्राओं को पुस्तक व शिक्षा सामग्री वितरित करना।

(ख) अनाथ, असहाय व विकलांग बच्चों के लिये भरणपोषण, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना एवं उन्हे योग्य बनाने हेतु प्रयास करना।

(ग) शिक्षा के विकास हेतू शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, उच्चतर विद्यालय, व्यवसायिक, प्रशिक्षण संस्थान एव महाविद्यालय आदि की स्थापना करना।

क्रम सं० 82 धनराशि 50/- दिनांक 30/1/12
स्टाम्प क्रय 81 का प्रयोजन............
क्रेता का नाम............
निवासी............

(राकेश कुमार गुप्ता)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़
ला०नं० 33
लाईसेंस अवधि 31-03-2013

न्यासी

Registration No.: 141 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 वीरेन्द्र अग्रवाल

सुरेश चन्द्र अग्रवाल

मौ0 श्यौदत्त गुलावठी तह0 व जिला ब0शहर

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AG 567729

(घ) सामाजिक समस्याओं के निदान के लिये यथासम्भव प्रयास करना।
(ड़) सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए यथासम्भव प्रयास करना।
ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना व चन्दा, दान, ऋण, अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व भूमि भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तातंरण अथवा पटटे या

क्रम सं० 83/81 ....धनराशि 50/- दिनांक 30/1/12
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
क्रेता का नाम ....
निवासी..........

(राकेश कुमार गुप्ता)
स्टाम्प विक्रेता तहसील कम्पा० हापुड़
लाo नंo 33
लाईसेंस अवधि 31-03-2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567730

किराये पर लेना व बन्धक रखना व अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तांतरण व ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों से अनुदान व ऋण प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567731

1. चूकिं मै कहता हूँ कि ट्रस्ट उद्देश्यो को पूरा करे जिन्हें ऊपर स्पष्ट किया गया है। उन सभी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों जिन्हें ट्रस्ट के सदस्य उचित समझें क्रियान्वित करें, और चूंकि ट्रस्ट के सम्पूर्ण सदस्य ट्रस्ट के उद्देंश्यो को पूरा करने के लिये सहमत है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567732

2. अतः मै वीरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द अग्रवाल निवासी मौहल्ला श्यौदत्त, गुलावठी (बुलन्दशहर) संस्थापक सुरेशचन्द अग्रवाल मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट एन0एच0 24, बाबूगढ़ (हापुड़) की स्थापना करता हूँ तथा ट्रस्ट के सदस्य जोकि उन उपहारों के संरक्षक व प्रबन्धक होगे को 5,100/– रूपये प्रारम्भिक रूप में देता हूं। जिसको वे उपरोक्त कहे गये उद्देश्यो को पूर्ण करने के लिये संचित करेगे।

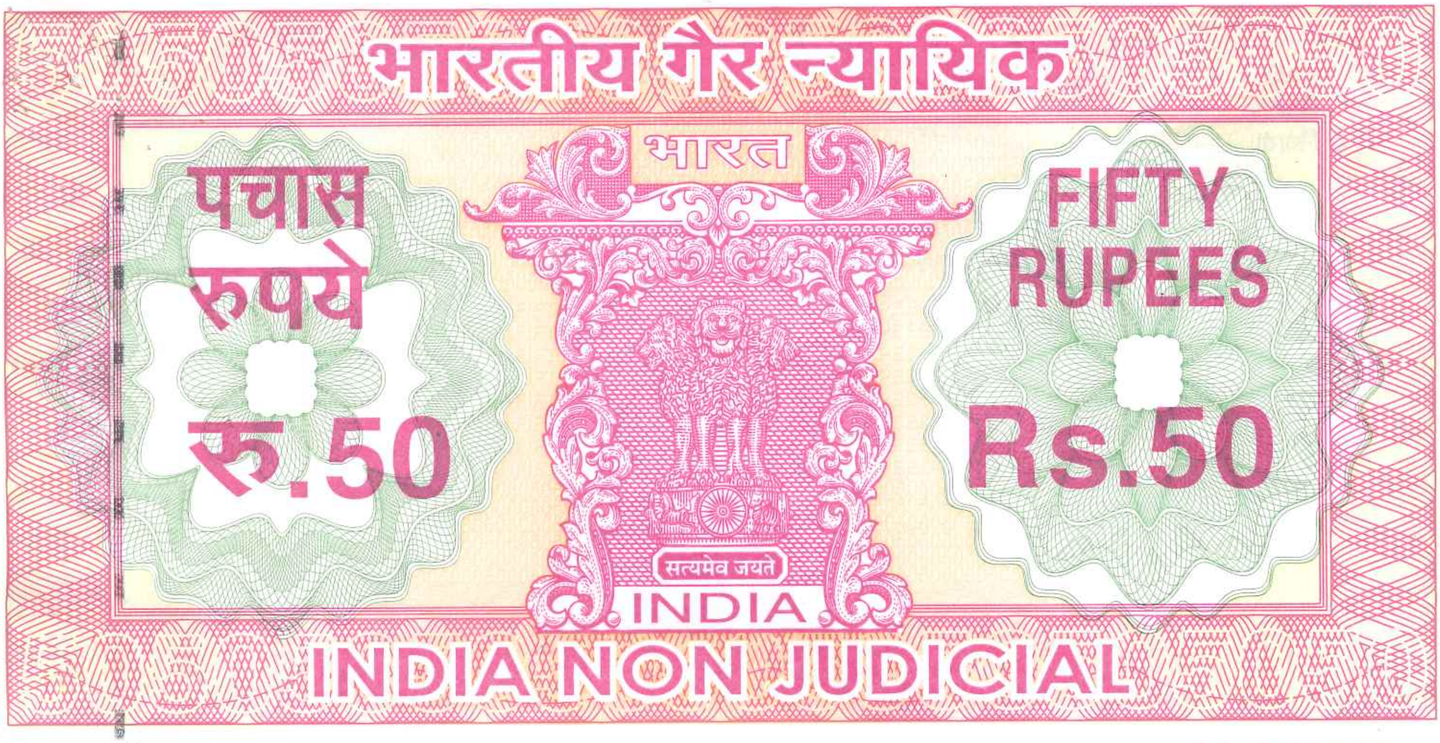

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567733

3. ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय सुरेशचन्द अग्रवाल मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट एन0एच0 24, बाबूगढ़ (हापुड़) होगा। ट्रस्ट के संचालन के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड होगा। जिसमें इस संस्था की रजिस्ट्री के समय निम्नलिखित ट्रस्टी बोर्ड होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567734

क्रम सं0	नाम	पदनाम	पता
1	श्रीमति विनीता अग्रवाल पुत्री श्री लल्लूमल	अध्यक्ष	चौधरी चित्रलोक के सामने, गुलावठी जिला बुलन्दशहर
2	श्रीमति स्वाति अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री संजय अग्रवाल	उपाध्यक्ष	चौधरी सिनेमा रोड़, गुलावठी जिला बुलन्दशहर
3	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द अग्रवाल	सचिव/ मैनेजिंग ट्रस्टी	मौ0 श्यौदत्त, गुलावठी जिला बुलन्दशहर
4	श्री नानक चन्द गर्ग पुत्र श्री रामकुमार गर्ग	सह सचिव	गांधी गंज, गुलावठी जिला बुलन्दशहर
5	श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री वी0के0 अग्रवाल	कोषाध्यक्ष	रेलवे रोड़, गुलावठी जिला बुलन्दशहर
6	श्रीमति पुनीता रानी पत्नी श्री सुशील कुमार	कार्यकारिणी सदस्य	50, ज्ञानलोक हापुड़ जिला हापुड़।
7	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	कार्यकारिणी सदस्य	गांधी नगर गेट, गुलावठी जिला बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567735

4. ट्रस्ट के सचिव/मैनेजिग ट्रस्टी वीरेन्द्र अग्रवाल व अध्यक्ष श्रीमति विनीता अग्रवाल होंगें।
5. मैनेंजिग ट्रस्टी को नवीन सदस्य (ट्रस्टी) बनाने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. प्रत्येक ट्रस्टी (सदस्य) को 250/– रूपये वार्षिक चन्दा कोषाध्यक्ष के पास जमा करना होगा।
7. निरन्तर दो वर्षो तक चन्दा न जमा करने की स्थिति में, त्याग–पत्र देने, पागल होने, दिवालिया होने की स्थिति में, अथवा स्वर्गवास होने की स्थिति में किसी भी सदस्य (ट्रस्टी) की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
8. ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने अथवा ट्रस्ट की गरिमा को कम करने वाले कार्य करने की स्थिति में अध्यक्ष, सचिव/मैनेजिग ट्रस्टी एवं कोषध्यक्ष बहुमत द्वारा निर्णय लेकर उस सदस्य (ट्रस्टी) की सदस्यता समाप्त कर सकते है।
9. अध्यक्ष व सचिव/मैनेजिंग ट्रस्टी आजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव बने रहेगे।
10. ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने हेतू ट्रस्टी बोर्ड का गठन कर लिया गया है। अध्यक्ष व सचिव/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567736

11. ट्रस्ट के बोर्ड के बहुमत द्वारा लिए द्वारा लिए गए निर्णय से सम्बन्धित कार्यो के निर्वहन हेतू अपनी सहायता तथा परामर्शदाता समितियों का गठन किया जा सकता है। और आवश्यकतानुसार बोर्ड ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के अधीन खोले गए किसी भी संस्थान की अलग से एक निर्धारित अवधि (अधिकतम तीन वर्षो के लिए) के लिए यथासम्भव अधिकार देते हुए समिति का गठन कर सकता है। ऐसी समितियों के लिए नियम/उपनियम बनाने का अधिकार ट्रस्ट को ही होगा। ऐसी समितियों की कार्यकारिणी में साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव/मैनेजिग ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध कार्यकारिणी समितियों के क्रमशः अध्यक्ष सचिव/मैनेजिंग डायरेक्टर व कोषाध्यक्ष होगे।
12. ट्रस्टी बोर्ड ट्रस्टी के कार्यो हेतू नियमो व उपनियमों की स्वयं ही रचना करेगा जिनमें आवश्यकतानुसार समय–सयम पर परिवर्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।
13. ट्रस्ट बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता राशि (नकद के रूप में अथवा चल अचल सम्पत्ति के रूप में) स्वीकार कर सकता है परन्तु ऐसी कोई भी सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धान्तो के विपरीत न हो।
14. ट्रस्ट के कोष (अतिरिक्त धन) को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाये एवं ट्रस्ट के खाते का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से करेगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567737

15. ट्रस्ट द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षण संस्था के खाते का संचालन मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से करेंगे।
16. ट्रस्ट अथवा उसके अधीन स्थापित अन्य संस्थाओं जैसे शिक्षण संस्थान, आदि को चल अचल सम्पत्ति को दान के रूप में सहायता के रूप में प्राप्त करने, क्रय करने अथवा किराए/लीज पर लेने व देने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी सम्पत्तियो को ट्रस्ट के उद्देश्यो को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार बेचने तथा ऋण लेने के लिए गिरवी/बन्धक रखने का भी अधिकार होगा। जिसके लिए प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजिंग डायरेक्टर को चल/अचल सम्पत्ति को बन्धक रखने, गिरवी रखने अथवा विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करेगी।
17. ट्रस्ट अन्य संस्थाओ को भी यथा सहायता कर सकता है।
18. पदाधिकारियो के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे–

(अ) अध्यक्षः–

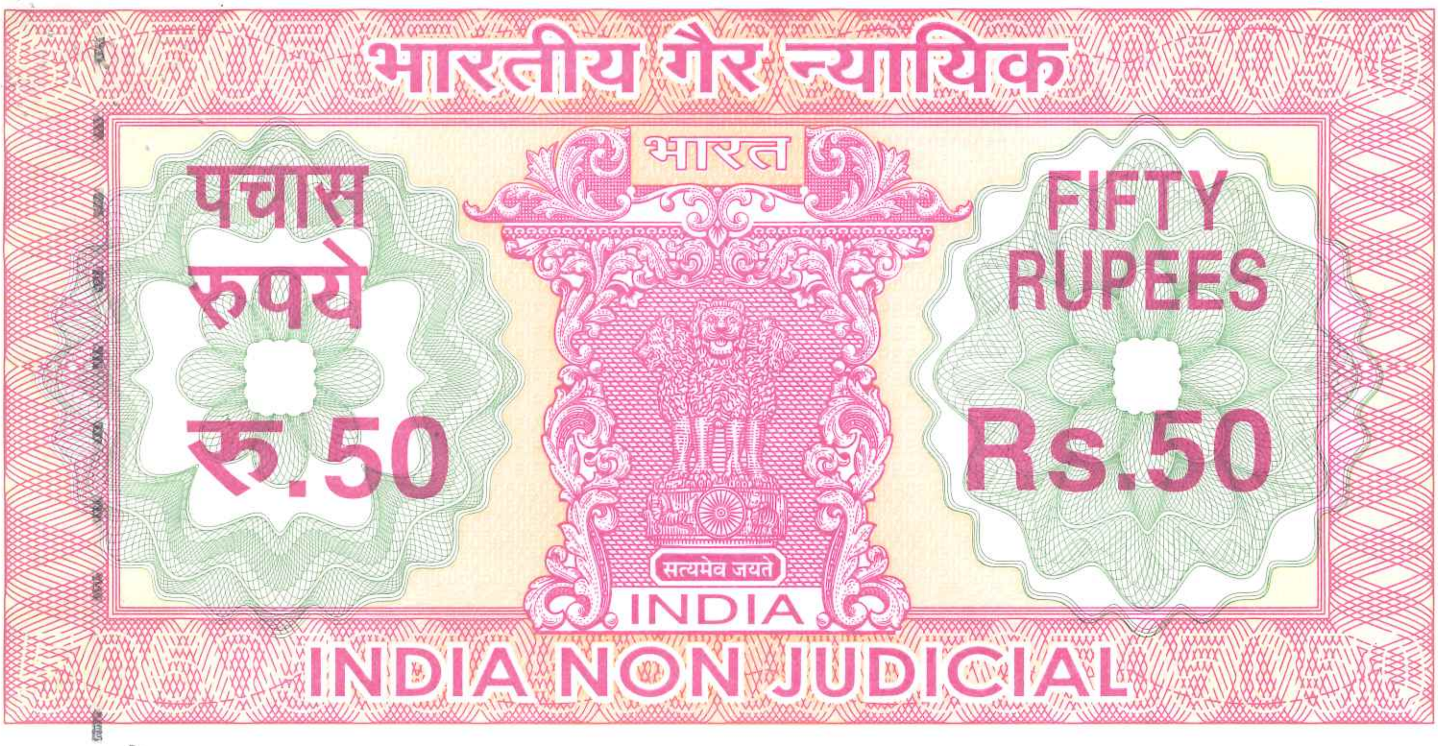

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567738

1. ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना,
2. ट्रस्ट की बैठक समायनुसार बुलाने व संचालन करने के लिए सचिव को निर्देशव सहयोग प्रदान करना।

(ब) सचिवः–

1. अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी के निर्देशानुसार ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी बैठकों का आयोजन करना।
2. बैठकों का संचालन करना।
3. ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशोंको कार्य रूप से पारिणित करना।
4. ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना।
5. ट्रस्ट अथवा उसके अधीन स्थापित संस्थाओं के लिए चल अचल सम्पत्ति दान में लेना, क्रय करना व रखरखाव करना।
6. ट्रस्ट के विरूद्ध अथवा ट्रस्ट द्वारा न्यायालय में दायर किसी वाद की पैरवी करना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट अथवा उसके अधीन संचालित संस्थाओं की चल अचल सम्पत्तिओ को गिरवी/बन्धक रखकर सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको, वित्तीय संस्थानो से ऋण प्राप्त करना।

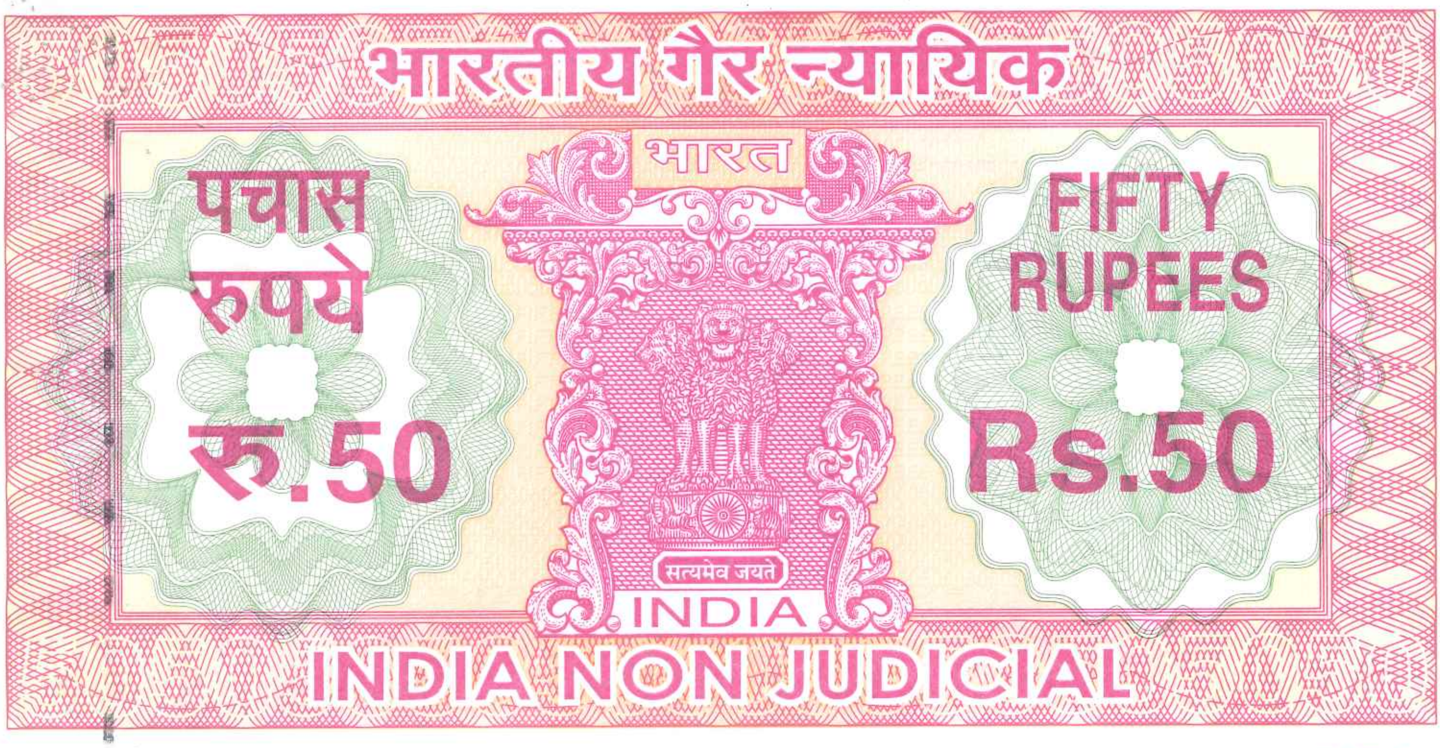

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AG 567739

8. सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण रखना।
9. बैठको की कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित करना।
10. ट्रस्ट की आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना व सम्बन्धि रिपोर्ट अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रेषित करना।

<u>(स) कोषाध्यक्षः—</u>

1. अध्यक्ष व सचिव द्वारा पास बिलों का भुगतान करना।
2. ट्रस्ट की समस्त आय व क्रय का हिसाब रखना।
3. वर्ष के अन्त में खातो का चार्टर्ड एकाउन्टेट से सत्यापन कराना।

19. कार्यकारिणी समिति के चुनाव हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी।
1. चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए पूर्व कार्यकारिणी किसी भी सम्मानित नागरिक को चुनाव अधिकारी के रूप में मनोनीत करेगी।
2. चुनाव से एक माह पूर्व चुनाव सम्बन्धी समस्त सूचनायें समस्त सदस्यों को निश्चित रूप से देनी होगी। जिसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष व सचिव पर संयुक्त रूप से होगा।
3. चुनाव से सात दिन पूर्व नाम नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
4. चुनाव से पांच दिन पूर्व तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।
5. आवश्यकता होने पर मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।
6. मतदान द्वारा निर्णय न हो पाने पर लाटरी द्वारा निर्णय किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 567740

7. कोई नामांकन न आने की स्थिति मे सर्वसम्मति से चुनाव किया जायेगा।

20. समिति के रिक्त स्थानो की पूर्ति करना – कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल के मध्य में किसी भी पदाधिकारी की सदस्यता समाप्त होने अथवा त्याग पत्र दिये जाने से होने वाली रिक्तियों को प्रबन्ध समिति द्वारा मनोनयन करके पूर्ण किया जायेगा। परन्तु जिस बैठक में मनोनयन सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है उस बैठक की सूचना पर उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टतः उल्लेख होना चाहिए।

21. ट्रस्ट अथवा उसके अधीन संस्थाओ के पदाधिकारियों की बैठक तीन माह में होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर बैठक अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है। जिसकी सूचना स्थान दिनॉक व समय सहित समस्त ट्रस्टीयों को कम से कम तीन दिन पूर्व मिल जानी चाहिए।

22. किसी भी सभा को कोरम/कुल सदस्य संख्या के 1/3 अथवा तीन सदस्य (जो भी अधिक हो) पूर्ण माना जाएगा। इससे कम उपस्थिति पर सभी स्थागित मानी जाएगी।

23. संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

21. मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित में किराए पर देने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AG 567741

22. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
23. विद्यालय की प्रबन्ध समति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
24. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
25. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ओर यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन , नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
26. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

27. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
28. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
29. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं मे रखा जायेगा।
30. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा – 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रो को प्रदान की जायेगी।
31. उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
32. एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहंरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तिों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन की जाएगी।
33. रजिस्ट्री के समय ट्रस्ट के पास आज तक कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

34. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल का पहचान पत्र संख्या UP/78/384/198207 है।

Virendra Agarwal

गवाह Vaibhav Singhal
S/o Sushil Kr Singhal
So, Gyanlok, Hapur

वसीम
गवाह ....
S/o रईस
रामनगर
गुलावठी
बुलन्दशहर

दिनॉक:– 30–11–2012

हरेन्द्र गुप्ता ... । लेखक
अनुज्ञप्ति सं० 65 दिनांक 31-3-2013
तह० कम्पाउन्ड हापुड़ (गा०बाद)
ली गई फीस 20/- ....
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर